न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), गुड़ामालानी

पीठासीन अधिकारी श्री सुनील कुमार आर.ए.एस.

करण संख्या :– 07/2020

अपीलाण्ट

1. राणसिंह वल्द जयसिंह
   जाति राजपूत निवासी डांगरिया तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेन्टगण

1. ग्राम पंचायत गान्धव कला जरिये सरपंच
2. इन्द्रादेवी पत्नी प्रहलादराम जाति पुरोहित निवासी पालियाली
3. अणसीदेवी पत्नी जोधाराम जाति विश्नोई निवासी पालियाली तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
4. तहसीलदार गुड़ामालानी

<u>अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम खिलाफ आदेश ग्राम पंचायत गान्धव कला ग्राम पालियाली के म्यूटेशन संख्या 410 दिनांक 05.08.11 को स्वीकृत किया गया के विरूद्ध</u>

उपस्थित :–

1. **श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता अपीलान्ट**

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 1.01.2021

अपीलान्ट ने यह अपील ग्राम पालियाली के नामान्तरकरण संख्या 410 दिनांक 05.08.2011 को ग्राम पंचायत गान्धव कला द्वारा स्वीकृत करने के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की है। अपील के मुख्य तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट ने दिनांक 27.05.2011 को दस्तावेज संख्या 2011001253 के द्वारा श्री बलवन्ता, भंवरा पि0 प्रहलाद, इन्द्रादेवी पत्नी प्रहलाद जाति पुरोहित निवासी पालियाली से ग्राम पालियाली के खसरा नम्बर 290 रकबा 19–09 बीघा किस्म बारानी दोयम में से समग्र 1/2 हिस्सा क्रया किया था। जिसकी पालना में पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण संख्या 410 खोला गया। राजस्व कर्मचारियों द्वारा नामान्तरकरण खोलते वक्त नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 7 में मूल खाते की स्थिति को लिखना होता है जबकि विवादित नामान्तकरण संख्या 410 में मूल खाता लिखते वक्त रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का नाम 1/2 हिस्से में नहीं दर्ज कर सिर्फ बलवन्ता, भंवरा का नाम दर्ज किया गया, उसके बाद कॉलम संख्या 9 में बलवन्ता, भंवरा का नाम डिलीट कर बलवन्ता, भंवरा पि0 प्रहलाद के स्थान पर अपीलान्ट का नाम दर्ज कर दिया गया, [illegible] गुड़ामालानी द्वारा बिना जांच किये हूबहू अपनी टिप्पणी द[illegible] सही पाया गया की रिपोर्ट कर अपने हस्ताक्षर कर दिये उसके [illegible] पंचायत द्वारा भी उक्त नामान्तरकरण को स्वीकृत [illegible] कि राजस्व कर्मचारियों व ग्राम पंचायत को कोई कानूनी अधिकारी नहीं [illegible]। नामान्तरकरण का ज[illegible] में इन्द्राज करते वक्त 1/2 हिस्से में बलवन्ता, भंवरा पि0 प्रहलाद के स्थान पर अपीलान्ट का नाम दर्ज कर दिया गया साथ ही इन्द्रादेवी का भी नाम खाते में यथावत रख दिया। इस प्रकार बेचान दस्तावेज के मुताबिक नामान्तरकरण नहीं खोलकर कानूनी भूल की है। अपीलान्ट को अपीलाधीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.01.28 10:51:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गुड़ामालानी

नामान्तरकरण संख्या 410 मौजा पालियाली में अपीलान्ट के नाम के साथ इन्द्रादेवी का नाम दर्ज होने के नामान्तरकरण स्वीकृत होने की अपीलान्ट ग्रामीण होने के कारण में पूर्व में कोई जानकारी नहीं हो पाई, लेकिन दिनांक 24.09.2020 को पटवारी हल्का से जमाबन्दी नकल व नामान्तरकरण की नकल लेने पर उक्त नामान्तरकरण में गलत नाम दर्ज होने की जानकारी होने पर उक्त नामान्तरणकरण का निरस्त कर बेचानकर्ता बलवन्ता, भंवरा पि0 प्रहाद व इन्द्रादेवी पत्नी प्रहलाद रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम के स्थान पर अपीलान्ट का नाम दर्ज कर स्वीकृत करने का आदेश किये जाने हेतु उक्त अपील पेश करना आवश्यक होने पर पेश की गई।

अपील दर्ज कर रेस्पोडेन्टान को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से रेस्पोडेन्टान के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अपील तथ्यों के सम्बन्ध में भूमि धारक तहसीलदार गुड़ामालानी से रिर्पोट ली गई। भूमिधारक तहसीलदार गुड़ामालानी ने अपनी रिर्पोट क्रमांक 2966 दिनांक 15.12.2020 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलकर्ला की अपील सही है, न्यायसंगत है। अपीलकर्ता ने दिनांक 27.05.2011 को पंजीयन क्रमांक 201100253 द्वारा ग्राम पालियाली के खसरा नम्बर 290 क्षेत्रफल 19–09 बीघा भूमि में बलवन्ता भंवरा पि0 प्रहलाद, इन्द्रादेवी पत्नी प्रहलाद का सम्पूर्ण हिस्सा 1/2 क्रय किया गया था। विक्रय दस्तावेज के आधार पर दर्ज ग्राम पालियाली के नामान्तरकरण संख्या 410/05.08.2011 में पटवारी द्वारा नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 07 में विक्रेता बलवन्ता, भंवरा, इन्द्रादेवी का नाम दर्ज न कर बलवन्ता, भंवरा का ही नाम दर्ज किया गया, विक्रेता इन्द्रादेवी का नाम दर्ज नहीं किया गया। इसके बावजूद भी नामान्तकरण संख्या 410 के कॉलम संख्या 09 में प्रस्तावित अंकन राणसिंह वल्द जयसिंह 1/2 विक्रय दस्तावेज के मुताबिक सहीं दर्ज हुआ। नामान्तरकरण का निर्णय भी सही हुआ। इसके बाद नामान्तरकण संख्या 410 के निर्णय से तत्कालीन जमाबन्दी संवत् 2068–71 खाता संख्या 89 में अमलदरामद मिथ्या दर्ज हुआ। अमलदरामद में बलवन्ता भंवरा पि0 प्रहलाद का सम्पूर्ण हि. राणसिंह के नाम दर्ज किया का अंकन किया, जबकि पंजीयन दस्तावेज के मुताबिक बलवन्ता भंवरा पि0 प्रहलाद इन्द्रादेवी पत्नी प्रहलाद का सम्पूर्ण हि0 1/2 राणसिंह के नाम दर्ज किया जाना था। प्रथम त्रुटि नामान्तरकरण संख्या 410 के अमलदरामद करने की हुई। तत्पश्चात ग्राम पालियाली के जमाबन्दी संवत् 2072–75 तैयार करते समय नामान्तरण संख्या 140 के कॉलम 09 में प्रस्तावित अनुरूप 1/2 हिस्सा में राणसिंह वल्द जयसिंह दर्ज किया जाना था, परन्तु नामान्तरकरण संख्या 410 के कॉलम 09 के विपरीत 1/2 हिस्सा में राणसिंह वल्द जयसिंह इन्द्रादेवी पत्नी प्रहलाद दर्ज [illegible]। खाते में 1/2 हिस्सा में राणसिंह के साथ इन्द्रादेवी का नाम दर्ज [illegible] त्रुटिपूर्ण है। विक्रय दस्तावेज 201100253/27.05.2011 [illegible] संख्या 410 के कॉलम 09 के विरूद्ध अंकन है। विक्रय दस्तावेज में तीनों खातेदारों द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/2 राणसिंह वल्द जयसिंह के नाम विक्रय किया गया, उसी अनुरूप नामान्तरकरण संख्या 410 के कॉलम 09 में 1/2 हिस्सा में राणसिंह वल्द जयसिंह दर्ज करना, ग्राम पालियाली की जमाबन्दी सम्बत् 2072–75 में खाता संख्या 121 में हिस्सा 1/2 राणसिंह के नाम दर्ज होना विधिसम्मत है। ग्राम पालियाली की जमाबन्दी सम्बव् 2072–75 के खाता संख्या 121

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.01.28 10:31:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गुड़ामालानी

खसरा नम्बर 290 क्षेत्रफल 19–09 बीघा भूमि में दर्ज इन्द्रादेवी पत्नी प्रहलाद का नाम विलोपित कर खाते में राणसिंह वल्द जयसिंह 1/2 अणसी देवी पत्नी जोधाराम 1/2 दर्ज कर खाता दुरूस्त किया जाना प्रस्तावित किया है।

हमने अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक से बहस सुनी तथा पत्रावली व पत्रावली उपलब्ध रेकर्ड एवं अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 410/05.08.2011 एवं पंजीयन दस्तावेज क्रमांक 20110253/27.05.2011 का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया गया। उक्त नामान्तरणकरण पंजीयन दस्तावेज क्रमांक 201100253/27.05.2011 के अनुरूप भरा जाना था परन्तु तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा उक्त पंजीयन दस्तावेज के अनुसरण में भर गये अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 410/05.08.2011 में बेचानकर्ता बलवन्ता, भंवरा पि0 प्रहलाद, इन्द्रादेवी पत्नी प्रहलाद का नाम हटाते हुए 1/2 हिस्से में राणसिंह वल्द जयसिंह का नाम दर्ज किया जाना था जिसमें सेवन से कॉलम संख्या 7 इन्द्रोदेवी पत्नी प्रहलाद का नाम दर्ज नहीं होने के कारण उक्त नामान्तरकरण की जमाबन्दी बनाते समय इन्द्रादेवी पत्नी प्रहलाद का नाम भी अंकित कर दिया गया, जबकि बेचान दस्तावेज संख्या 201100253/27.05.2011 द्वारा बलवन्ता, भंवरा पि0 प्रहलाद, इन्द्रादेवी पत्नी प्रहलाद द्वारा अपना समग्र 1/2 हिस्सा बेचान किया है इसी अनुसार नामान्तरण संख्या 410 भरा जाकर राजस्व रेकर्ड तैयार किया जाना था। तहसीलदार गुड़ामालानी ने अपनी रिर्पोट क्रमांक 2966 दिनांक 15.12.2020 द्वारा उक्त त्रुटि को स्वीकार करते हुए ग्राम पालियाली की जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 के खाता संख्या 121 खसरा नम्बर 290 क्षेत्रफल 19–09 बीघा भूमि में दर्ज इन्द्रादेवी पत्नी प्रहलाद का नाम विलोपित कर खाते में राणसिंह वल्द जयसिंह 1/2 अणसीदेवी पत्नी जोधाराम 1/2 दर्ज कर खाता दुरूस्त किये जाने की सिफारिश की है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 410/05.08.2011 त्रुटिपूर्ण भरा गया है। जहां कोई आदेश Void ab entio हो, वहां उसे किसी भी समय चुनोती दी जा सकती है। यद्यपि विधि विरूद्ध आदेश को बनाये रखना भी न्यायोचित नहीं है। अपील विलम्ब से पेश करने के सम्बन्ध मे अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम का अपील के साथ पेश किया है। अपील के तथ्यों एवं वस्तुस्थिति को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलाण्ट अन्दर म्याद स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 410 ग्राम पालियाली के खसरा नम्बर 290 रकबा 19–09 बीधा किस्म बारानी दोयम में स्वीकृत आदेश को निरस्त कर बेचानकर्ता बलवन्ता, भंवरा [illegible] प्रहलाद रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम के स्थान पर अपीलान्ट [illegible] नाम [illegible] कर स्वीकृत करने का आदेश दिया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.01.28 10:51:17 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 1.02.21 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) गुड़ामालानी
गुड़ामालानी